COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5 INDIA

(68)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र. R 4115-PBR-16

प्रकरण कमांक /2016-17 निगरानी

तारा सिंह पुत्र ध्रुव सिंह आयु 43 साल निवासी गंगापुर बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

- प्रार्थी

बनाम

श्री ... द्वारा आज दि 3-12-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3/12/16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

682
3-12-16

1. बाबू सिंह पुत्र खुतरी जाति मोगिया
2. नेनपुडा पुत्रगण खुतरी जाति मोंगिया
3. किशन पुत्र अमर सिंह मोगियां
4. गोविंदी पुत्र अमर सिंह मोगियां समस्त निवासीगण नजरबाग के सामने मोगिया मोहल्ला दतिया म.प्र.

-प्रतिप्रार्थीगण

3/12/016

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय डबरा के अपील प्रकरण कमांक 88/15-16 अपील व उनमान बाबू सिंह आदि बनाम तारा सिंह आदि मे पारित आदेश दिनांक 25 /11/2016 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम का स्वीकार किया गया ।

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण कमांक** निगरानी 4115–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 8–12–2016 | आवेदक की ओर से श्री आर0एस0 भटनागर, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 25–11–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब माफ करने में बोलता हुआ आदेश पारित नहीं कर, अति संक्षिप्त आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बोलता हुआ सकारण आदेश पारित करें । उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है ।<br><br>**(मनोज गोयल)**<br>अध्यक्ष | |